कार्यालय जिला पंचायत ,गाजीपुर।

खनिज परिवहन शुल्क वसूली ई–टेण्डर सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत गाजीपुर सरकारी गजट मे दिनांक 14 अगस्त 1976 तथा संशोधित उपविधि की धारा–8 दिनांक 13 फरवरी ,2016 एवं शासनादेश संख्या–623/33–2–2016–114जी/2008 टी0सी0, पंचायती राज अनुभाग–2 दिनांक 15 फरवरी 2018 के अनुरूप जनपद की ग्रामीण क्षेत्रों की नदियों या उसके तट से बालू मोरंग,रेत या अन्य खनिजों गिटटी,बजरी,भस्सी, खारों से निकलने वाली मिटटी को लेने ,एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यवसायिक उददेश्य परिवहन करने वाले शक्ति चलित वाहन यथा ट्रैक्टर,ट्राली,मिनी ट्रक,डम्पर आदि वाहनों से जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज सामग्री उदगम स्थल गंगबरार टारी एवं ग्राम बारा से बिना बैरियर लगाये उपविधि में निर्धारित खनिज परिवहन शुल्क वसूली कार्य के प्रबन्धन का ठेका वर्ष 2018–19 हेतु ई–टेण्डरिंग निविदा दिनांक 19.04.2018 तक आमंत्रित किया गया था। परन्तु उक्त दोनों उदगम स्थल से कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः ई– टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा दिनांक 27.04.2018 को 10.00 बजे दिन से दिनांक 07.05.2018 समय 12.00 बजे दिन तक ई–टेण्डरिंग **http:// e-tender.up.nic.in** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 07.05.2018 को समय 3.00 बजे अपरान्ह से टेक्निकल बिड ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी, तथा टेक्निकल बिड में पात्र टेण्डरदाताओं की फाईनेन्शियल बिड उसी दिन अपराहन 3.30 बजे खोली जायेगी।

कमांक	खनिज उदगम स्थल का नाम (बालू)	सरकारी धनराशि रू0	धरोहर धनराशि रू0	टेण्डर मूल्य रू0	समय अवधि
1	गंगबरार टारी	1800000.00	180000.00	2000.00	31.03.2019 तक
2	बारा	1440000.00	144000.00	2000.00	31.03.2019 तक

1–टेण्डर फार्म ई–टेण्डरिंग पोर्टल **http:// e-tender.up.nic.in** पर दिनांक– 27.04.2018 को 10.00 बजे दिन से दिनांक 07.05.2018 को 12.00 बजे दिन तक उपलब्ध रहेगा। जो आनलाईन **http://e-tender.up.nic.in** पर ही सबमिट किया जा सकेगा।

मुख्य शर्ते निम्नवत् है।

1–टेण्डरदाता को टेण्डर प्रकिया में भाग लेने के लिए जमानत के रूप में उदगम स्थल गंगबरार तारी हेतु मु0–180000.00 (एक लाख अस्सी हजार रूपया मात्र) एवं उदगम स्थल ग्राम सभा बारा हेतु मु0–144000.00 (एक लाख चौवालीस हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर के नाम हो, या जिला निधि खाता संख्या–39270201101799 आई0एफ0सी0कोड संख्या–यू0बी0आई0एन00539279 जो यूनियन बैंक आफ इण्डिया विकास भवन गाजीपुर में जमा कर मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसके बिना किसी भी टेण्डर पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

2–ठेकेदार को नीलामी धनराशि के साथ 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 भी जमा करना अनिवार्य होगा।

3–ई टेन्डर दाता को टेन्डर दाता को टेन्डर शुल्क मु0 2000रू जो किसी राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा निगत ड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर के पक्ष में देय हो अथवा जिला पंचायत गाजीपुर के जिला निधि के खाता संख्या 39270201101799 यूनियन बैंक आंफ इण्डिया बिकास भवन गाजीपुर में जमा कर (मूल रूप से संलग्न करना अनिर्वाय होगा)

4–निविदा दाता द्वारा प्रत्येक निविदा की मूल प्रति अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर के कार्यालय में दिनांक 07.05.2018 को 12.00 बजे दिन से 2.30 बजे दिन तक हार्ड कापी पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसे न करने की दशा में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

5–अन्य शर्तों की जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(सुभाष चन्द्र पाल)
अभियन्ता,
जिला पंचायत गाजीपुर

(सुरेश कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत गाजीपुर

(आशा यादव)
अध्यक्ष
जिला पंचायत गाजीपुर

कार्यालय जिला पंचायत ,गाजीपुर।

पृष्ठाकन सं0– 40 /बालू नीलामी सूचना/2018–19 दिनांक– 25-4-2018

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– कार्यालय जिलाधिकारी,गाजीपुर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

2– कार्यालय जिला जज गाजीपुर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु। ।

3–पुलिस अधीक्षक महोदय,गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ कि नीलामी तिथि पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की कष्ट करे।

4–मुख्य बिकास अधिकारी/मुख्याधिकारी,जिला पंचायत ,गाजीपुर।

5–लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग,गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ की नीलामी प्रकिया में तिथि को जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने का कष्ट करें।

6–नगर पालिका परिषद गाजीपुर को नोटिस बोर्ड हेतु ।

7–अधिसाशी अभियन्ता लो0नि0वि0गाजीपुर को नोटिस बोर्ड हेतु।

8–अभियन्ता जिला पंचायत गाजीपुर।

9–वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत गाजीपुर।

10–एन0आइ0सी0 गाजीपुर को अपनी वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

11–विज्ञापन व्यवस्थापक सामाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ की उपरोक्त नीलामी सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करके तीन प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत गाजीपूर